न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 55/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़

दायरा दिनांकः 23.03.2022

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. शिवसिंह आत्मज कन्हीराम जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड़
2. मांगीलाल आत्मज शिवसिंह जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड़

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कालू सिंह आत्मज कन्हीराम जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड़
2. भेरूसिंह आत्मज कन्हीराम जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड़
3. रामलाल आत्मज कन्हीराम जाति सोन्ध्या निवासी बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड़
4. कमला बाई पुत्री कन्हीराम पत्नी बालूसिह सोन्ध्या निवासी ग्राम लालखेडी तहसील सुसनेर जिला आगर म० प्र०
5. गीता पुत्री कन्हीराम जाति सोन्ध्या पत्नि भगवान सिंह निवासी नानोर तहसील बकानी जिला झालावाड़
6. लीला बाई पुत्री कन्हीराम पत्नी पूरसिंह जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम नेउखेडी तहसील बकानी जिला झालावाड
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बकानी

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रूपनारायण सिसोदिया, अभिभाषक –अपीलांट

::निर्णय::

दिनांक 29.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ के प्रकरण संख्या 36/अपील/20 बउनवान शिवसिंह वगे0 बनाम कालू सिंह वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति0 संभा0 आयुक्त
कोटा

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 09.07.2020 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की जाकर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी कन्हीराम सोन्ध्या के स्वामित्व व कब्जे की आराजी थी। कन्हीराम का विवाह केसर बाई से हुआ था। केसर बाई से एक पुत्र शिवसिंह अपीलांट है तथा केसर बाइ का वर्ष 1952 में स्वर्गवास हो गया था। केसर बाई के स्वर्गवास के बाद कन्हीराम ने मेहताब बाई को रख लिया था। कन्हीराम के मेहताब बाई से तीन पुत्र व तीन पुत्रियां रेस्पो० । लगायत 6 हुए। कन्हीराम का स्वर्गवास 1995 में हो गया था तथा मेहताब बाई का स्वर्गवास दिनांक 18.11. 2019 को हुआ। कन्हीराम के स्वर्गवास के बाद उक्त विवादग्रस्त आराजी कन्हीराम के उत्तराधिकारीगण पुत्र शिवसिंह, कालू सिंह, भैरूसिंह, रामलाल तथा मेहताब बाई के नाम दर्ज हुई एवं पुत्रियों ने अपना हक लेने से मना कर दिया था। उक्त आराजी में मेहताब बाई का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया था जबकि असली हकदार कन्हीराम की वैधानिक पत्नी केसर बाई ही थी। इस कारण मेहताब बाई के हिस्सा गलत दर्ज हो गया था। उक्त आराजी से सम्बन्धित जमाबन्दी में शिवसिंह के नाम का होना प्रक्रियाधीन बताया गया है, जबकि नामान्तरकरण में उनका नाम तस्दीक नहीं किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी का नाम नामान्तरकरण में होना चाहिये। अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाये।

2. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आराजी के संबंध में नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ में विचाराधीन होना विवेचित करते हुए वादग्रस्त आराजी का निस्तारण उक्त विचाराधीन वाद के निर्णय से स्वतः ही होना वर्णित करते हुए अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 29.10.2020 से खारिज की गई।

3. अधीनस्थ न्यायायल के निर्णय दिनांक 29.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया गया कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा स्व० मेहताब बाई को कन्हीराम की बेवा होना मानकर उसके नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया तथा उसी आधार पर रेस्पो० के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ। जबकि शिवसिंह कन्हीराम का जायज पुत्र है तथा कन्हीराम की ब्याहता स्त्री श्रीमति केसर बाई है तथा केसर बाई के पुत्र अपीलान्ट है। इस प्रकार उक्त

नामान्तरकरण से मेहताब बाई के स्थान पर जो नामान्तकरण रेस्पो० के नाम तस्दीक हुआ है, उक्त नामो को हटाया जाकर उक्त विवादित आराजी मे अपीलान्ट का नाम अंकित होना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त संबंध में पूर्ण जांच किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के संबंध मे वाद लंबित है तथा उक्त आराजी का कौन मालिक व वारिस है, इसका निस्तारण उक्त वाद मे ही होगा। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश कानून न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। परीक्षण न्यायालय के द्वारा वारिसान की संपूर्ण जांच नही की गई तथा पटवारी की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक किया गया। अपीलान्ट क्र. 1 के पिता कन्हीराम एवं केसर बाई का पुत्र होने से स्व० कन्हीराम का जायज वारिस है तथा हर प्रकार से उसे कन्हीराम की चल–अचल सम्पत्ति मे हक विरासतन प्राप्त होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा उक्त समस्त तथ्य प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी जेर अपील प्रदान किया है, जो कि काबिल निरस्तनीय है। रेस्पो० जो कि अपने आपको स्व० मेहताब बाई के वारिसान बता रहे है, लेकिन मेहताब बाई स्व० कन्हीराम वैधानिक पत्नि ही नही है तो प्रश्नगत आराजी में रेस्पो० को किस प्रकार हक अधिकार प्राप्त हो सकते है। इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करके निर्णय जेर अपील प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी के संबंध मे विवाद होने तथा विवाद प्रमाणित होने की अवस्था मे उक्त नामान्तकरण खारिज कर उक्त विवादित भूमि के पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति कायम करने का आदेश प्रदान करना चाहिये था। ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। विवादित आराजी में रेस्पो० का नाम अंकित होने से वह उक्त भूमि का गलत रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है तथा अपीलान्ट का हक विरासत होने के बाद भी अपीलान्ट को उक्त आराजी से महरूम कर रखा है। इसलिये न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को अपील स्वीकार कर नामान्तकरण जेर अपील निरस्त करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय को हक विरासत की पूर्ण जानकारी कर विवादित आराजी का हक विरासत के आधार पर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड करना चाहिये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त किया जावे तथा उक्त प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः वारिसान की जांच कर बाद साक्ष्य लेकर पुनः वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

29-8-2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने पर प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी कन्हीराम आत्मज भवानी सिंह की है, जिसको लेकर कोई विवाद नही है। कन्हीराम का अपीलान्ट की माता केसर बाई से विवाह हुआ बाद में कन्हीराम द्वारा मेहताब बाई से विवाह कर लिया, जिससे रेस्पोडेन्ट उत्पन्न हुए। कन्हीराम का वर्ष 1995 में स्वर्गवास होने के बाद तस्दीक किये गये इंतकाल में केसर बाई के स्थान पर मेहताब बाई का नाम त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज कर दिया और मेहताब बाई का वर्ष 2019 में स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील की गयी। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काश्त व अपीलान्ट हमेशा से आराजी पर काबिज काश्त रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित होने के बावजूद भी अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज की गई, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि दावा जेरकार है इस कारण अपील खारिज की है, जो गलत है। जबकि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी। चूंकि वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारो को नियमित करने के लिये आवश्यक है। इस प्रकार दोनो प्रावधान अलग अलग होने के बावजूद भी अपीलान्ट की अपील खारिज करदी जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत कार्यवाही में अधिकारों का निस्तारण नहीं कर केवल यह देखना है कि आराजी पर कौन काबिज है। काबिज के संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई कथन नही कहा गया और न कोई विरोध ही प्रकट किया गया, इस प्रकार अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया कब्जा प्रमाणित होने के बावजूद भी अपीलान्ट की अपील खारिज करदी जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट के पक्ष मे इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलांट के द्वारा न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

अति. सं. आयुक्त
कोटा
29.8.2025

प्रस्तुत अपील में मुख्य तर्क रहा है कि प्रश्नगत आराजी कन्हीराम आत्मज भवानी सिंह की है तथा अपीलांट कन्हीराम एवं केसर बाई का पुत्र है। इसके बाद में कन्हीराम द्वारा मेहताब बाई से विवाह कर लिया तथा कन्हीराम का वर्ष 1995 में स्वर्गवास होने के बाद तस्दीक किये गये इंतकाल में केसर बाई के स्थान पर मेहताब बाई का नाम त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज कर दिया गया। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण में मूल पुरूष कन्हीराम की मृत्यु वर्ष 1995 में होना प्रकट होता है तथा मूल पुरूष को दो पत्नियों से संताने उत्पन्न हुई। अपीलांट के द्वारा मेहताब बाई के हिस्से को लेकर अपील पेश की गई हैं। चूंकि प्रकरण में नियमित वाद जैरकार है तथा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद में ही होना है। नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 में जो निष्कर्ष दिया गया है, उसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

29-8-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा